फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 02.08.2024

थाना कमालगंज के बीआरसी केंद्र में दिनांक 31.7.2024 को शिक्षक की हत्या करने के इरादे से गोली मारने की घटना से सम्बन्धित अभियुक्त घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व महिला का छद्म वेष धारण करने वाले कपड़े सहित गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन**, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रविन्द्र नाथ राय के कुशल नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना एसओजी/सर्विलांस/ थाना कमालगंज पुलिस टीम द्वारा थाना कमालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-161/24 धारा-109/61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त वीरेन्द्र राजपूत को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. वीरेन्द्र राजपूत पुत्र स्व0 आरएस राजपूत निवासी गीतापुरम कॉलोनी कोतवाली फतेहगढ़।

घटना का विवरण- दिनांक 31.07.2024 को कस्बा कमालगंज स्थित खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मौजूद सहायक अध्यापक विश्राम सिंह को महिला का भेष धारण करने वाले अज्ञात हमलावर द्वारा जान करने के नियत से गोली मारी दी गयी। इसके संबंध में थाना कमालगंज पर मु0अ0सं0-161/24 धारा-109/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चार टीमों का गठन किया गया। विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज,बयान एवं अभियुक्त गिरफ्तारी तथा उसके जुर्म इकबाल के उपरांत उसकी निशान देही पर घटना के समय महिला का भेष धारण करने वाले कपड़े एवं घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र मय कारतूस/खोखा कारतूस बरामद करते हुए मात्र 48 घण्टें के भीतर घटना का सफल किया गया।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त द्वारा बताया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी कमालगंज के कार्यालय में तैनात विश्राम सिंह के कारण अभियुक्त व उसकी पत्नी के बीच में आए दिन लड़ाई-झगड़ा तथा मनमुटाव की स्थिति रहती है। अभियुक्त को अपनी पत्नी के चरित्र के ऊपर शक था। पत्नी के इसी व्यवहार के कारण अभियुक्त, पीडित विश्राम सिंह उपरोक्त को जान से मारने के लिए लगभग 2 वर्ष से योजना बना रहा था। जिसके क्रम में अभियुक्त द्वारा एक अवैध तमंचा लिया गया एवं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म से महिला के हेयर बिग खरीदी गयी साथ ही घटना से चार-पांच महीने पहले फर्रुखाबाद की अलग-अलग दुकानों से जूते एवं महिला के सूट लैगिंग एवं अन्य कपड़े भी खरीदे गये।

अन्य महत्वपूर्ण विवरण- पुलिस से बचने हेतु अभियुक्त द्वारा घटना से पूर्व मोबाइल फोन को पुलिस न पकड़ पाए उसके लिए यूट्यूब पर ''मोबाइल फोन की लोकेशन कैसे पुलिस ट्रेक नहीं कर सकती है'' इस संबंध में सर्च भी किया गया था जिसका स्क्रीनशॉट एवं ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म से की गयी शॉपिंग के विवरण का स्क्रीशॉट संलग्न है।

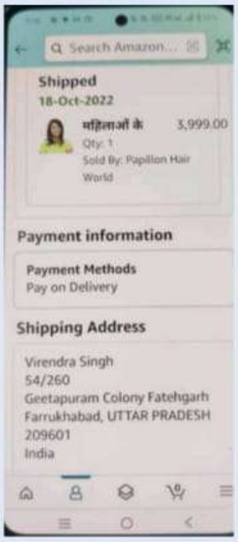

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद तमंचा 315 बोर
2. 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
3. 01 मिस कारतूस 315 बोर
4. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
5. 02 अदद दुपट्टा
6. 01 अदद कुर्ती
7. 01 अदद लैगी
8. अंडर गारमेन्ट्स मय 02 अदद कपड़े के गोल बण्डल।
9. 01 अदद हेयर बिग
10. 01 जोडी हाथों के दस्तानें
11. 01 जोडी जूता
12. 01 काला चश्मा

अभियुक्त वीरेन्द्र राजपूत उपरोक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0-161/24 धारा-109/61(2) बीएनएस थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली एसओजी पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह पटेल
2.हे0का0 बलवीर सिंह
3.का0 दिव्याशुं
4.का0 विकास कुमार

गिरफ्तार/बरामद करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 विशेष कुमार
2. हे0का0 अनुराग
3.हे0का0 संदीप राव
4. हे0का0 करन

गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 राजेश राय थानाध्यक्ष कमालगंज
2. उ0नि0 शंकरानंद
3. उ0नि0 दीपक सिहं मय हमराह फोर्स

मीडिया सेल फतेहगढ़

SP